अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या– 84/20-21(1)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	वाद का प्रकार–बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एंव कार्रवाई से संबंधित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा०, दिनांक–13.05.2016 सहपठित– श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–रा०भ०नि०–119/85/2308/रा०, दिनांक–03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा०, दिनांक–09.12.1996 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा– माधोबाद थाना नं०– 47 खाता संख्या– 69 प्लॉट संख्या– 7 रकबा– 10 5/6 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 1 के पृष्ठ संख्या– 150 पर जमाबंदी रैयत करमु महतो पिता विशु महतो के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्येश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक– 19/09/2020 को उपस्थापित करें। 03/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

20.03.2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत /जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया। अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतू अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजे। 19/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– करमु महतो
पि० बिमु महतो

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
साधाबाद	47	69	7	10s70

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं0– 150 पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है– 1962-63

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरआबाद खाता

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– अपर दाखिल

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) – अपर दाखिल

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) पंजी II से
अपर दाखिल

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

अं०अ० / अ० नि० / गोविन्दपुर

महाशय,
आदेशित भूमि संधारित पंजी के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। संधारित पंजी में जमाबन्दी सं० 150 दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में अपर दाखिल केश नं० 46 (II) 1962-63 अंकित है। उक्त जमाबन्दी संदेहास्पद प्रतीत होता है।
अतः जमाबन्दी रद्द / नियमितीकरण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

[signatures]